रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 1987/माघ 3, 1908
No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 1987/MAGHA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली 23 जनवरी, 1987

अधिसूचना

फा. सं. पीडब्ल्यू/पी ई सी - 59/85—केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 जनवरी, 1987 से अगले आदेश

होने तक श्री पी. एस. मुखोपाध्याय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 64) को कलकत्ता पत्तन न्यास के अधीन हल्दिया डॉक काम्पलैक्स में उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 23rd January, 1987

NOTIFICATION

No. PW|PEC-59|85.—In exercise of the powers conferred on them by clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government appoint Shri P. S. Mukhopadhyay, IAS (BH : 64) as Deputy Chairman, Haldia Dock Complex under Calcutta Port Trust with effect from 20th January, 1987 until further orders.

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987